## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## Section 47: Levy of late fee

- (1) Any registered person who fails to furnish the details of outward <sup>1</sup>[\*\*\*\*] supplies required under section 37 <sup>2</sup>[\*\*\*\*] or returns required under section 39 or section 45 <sup>3</sup>[or section 52] by the due date shall pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of five thousand rupees.
- (2) Any registered person who fails to furnish the return required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum of an amount calculated at a quarter per cent. of his turnover in the State or Union territory.

The words "or inward" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

<sup>2</sup> The words and figures "or section 38" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

<sup>3</sup> Inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

## धारा 47 : विलंब फीस का उदग्रहण

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 <sup>1</sup>[.....] के अधीन अपेक्षित जावक <sup>2</sup>[.....] पूर्तियों के ब्यौरे या धारा 39 या धारा 45 <sup>3</sup>[या धारा 52] के अधीन अपेक्षित विवरणियां अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियत तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके आवर्त के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''या धारा 38'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

**<sup>2</sup>** वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''या आवक'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

<sup>3</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।